

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

“ए” ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर-302005

दूरभाष-0141-2740239, फेक्स-0141-2742309, ई मेल: jacct.dta@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)पदस्थापन/अलेसे-III/ 259

जयपुर दिनांक :- 13/05/2022

आदेश संख्या: 589/2022-23

माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों का स्थानान्तरण/पदस्थापन गैर अनुसूचित क्षेत्र से अनुसूचित क्षेत्र में कॉलम संख्या 05 में अंकित कार्यालय में तुरन्त प्रभाव से किया जाता है :-

क्र. सं.	लिंक नम्बर	नाम (सर्वश्री)	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम	नव पदस्थापन कार्यालय का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	10485	पवन कुमार वैरागी	वरिष्ठ भू-जल वैज्ञानिक (एस.ए.) भू-जल विभाग-17504, उदयपुर	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, साबला -8000416 (डूंगरपुर)	रिक्त पद पर
2.	10245	प्रेम चन्द गमेती	अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग - 16919, उदयपुर	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा (प्रारम्भिक) विभाग, गिरवा -1442 (उदयपुर)	स.ले. ग्रेड-II के रिक्त पद के विरुद्ध
3.	10584	देव कृष्ण अहारी	अधिक्षापी अभियंता, गुण नियंत्रण खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग - 7969, उदयपुर	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, दोवड़ा-8000942 (डूंगरपुर)	रिक्त पद पर
4.	33364	ओम प्रकाश रोट	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला मुख्यालय, महात्मा गांधी नरगा - 3000177, उदयपुर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, झाड़ोल (फलासिया) 23564, उदयपुर	रिक्त पद पर
5.	10594	विवेक कलासुआ	कोषालय, उदयपुर (ग्रामीण) 31234	उपकोष, बिच्छीवाड़ा-3000552 (डूंगरपुर)	रिक्त पद पर

उक्त आदेश वित्त विभाग की स्वीकृति/सहमति क्रमांक प.2(1)वित्त/राजस्व/2021 दिनांक 13.05.2022 के क्रम में लोकहित में जारी किये जाते हैं।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)पदस्थापन/अलेसे-III/ 259

जयपुर दिनांक :- 13/05/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
3. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष..... को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को अविलम्ब कार्यमुक्त कर नवपदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।
4. संबंधित कोषाधिकारी
5. श्री..... कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय..... को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय से कार्यमुक्त होकर कार्यग्रहण काल का उपयोग किये बिना तत्काल नवपदस्थापन कार्यालय में आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर सूचना फेक्स अथवा विभागीय ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in पर इस विभाग को भिजवाये।
6. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I/II) कार्यालय हाजा।
8. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट/पीआईएस कॉईन्स पर अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित/निजी पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)